फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 20.06.2025

हत्या के अभियोग में वाँछित अभियुक्तगण को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा 72 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री हरीश चन्दर** के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्रीमती आरती सिंह** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 187/2025 धारा 103(1) BNS के सम्बन्ध में थाना मऊदरवाजा पुलिस को शीघ्र घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। उपरोक्त के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियोग से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण को 72 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. विनोद यादव पुत्र वीरभान निवासी बंगसपुरा कोहना कोतवाली फर्रूखाबाद उम्र करीब 50 वर्ष,
2. प्रदीप पुत्र दुर्गाप्रसाद निवासी मो0 खड़ियाई कोतवाली फर्रूखाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।

घटना का संक्षिप्त विवरण: वादी श्री राकेश कुमार s/o रामकिशन निवासी ग्राम रायपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 16.06.2025 को थाना मऊदरवाजा पर तहरीर दी गयी थी कि उसका भाई शिवरतन s/o रामकिशन मो0 रकावगंज खुर्द चिलसरा मार्ग पर स्थित देशी शराब ठेके पर सेल्समैन का कार्य करता था। जिसका मालिक भगवानदास शिवानी उर्फ मीनू पुत्र ईश्वरदास शिवानी है। मेरे भाई के प्रातः9.00 बजे घर न पहुँचने पर मेरे द्वारा दुकान पर पता किया गया तो भगवान दास ने बताया कि शिवरतन सो रहा है तो मैं घर पर वापस चला आया तथा घर वालो व गाँव वालो को इस की सूचना दी तब तक मेरे भाई का शव लोहिया अस्पताल पहुंच चुका था मुझे अंदेशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि भगवान दास शिवानी व प्रभुदास शिवानी s/o भगवान दास शिवानी एवं दो आदमी अज्ञात ने मेरे भाई को मार कर दुकान में डाल दिया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर तत्समय दिनांक 16.06.2025 को थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 187/2025 धारा 103(1) BNS बनाम 1.भगवानदास शिवानी उर्फ मीनू पुत्र ईश्वर दास शिवानी 2. प्रभुदास शिवानी पुत्र भगवान दास शिवानी निवासीगण अज्ञात व दो व्यक्ति अज्ञात नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना अभियुक्तगण 1. विनोद यादव 2. प्रदीप उपरोक्त के नाम प्रकाश में आयें। मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण की तलाश के क्रम में विवेचक थानाध्यक्ष बलराज सिंह भाटी मय उ0नि0 नितिन कुमार मय हमराह आरक्षीगण के द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण 1. विनोद यादव, 2. प्रदीप उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्तगण विनोद व प्रदीप उपरोक्त ने पूछताछ करने पर माफी मांगते हुए बताया कि हम कई वर्षों से देशी शराब के ठेके रकाबगंज खुर्द पर साथ मिलकर कैंटीन चलाते हैं, जिसका किराया प्रतिदिन 600 रुपये के हिसाब से ठेका मालिक को देते हैं। अप्रैल महीने से ठेके पर सेल्समैन (गद्दीदार) का काम शिवरतन उपरोक्त देख रहा था। शिवरतन शराब पीने का आदी था। अपनी मन मर्जी से ठेके पर शराब की बिक्री करता था। ग्राहकों के शराब मांगने के बाद भी शराब नही देता था तथा अक्सर सो जाता था और जब हम दोनो उससे शराब मांगते थे तब वह शराब नही देता था। शिवरतन उपरोक्त की इन्ही हरकतों की शिकायत हमने ठेका मालिक से की थी लेकिन उन्होने भी कोई ध्यान नही दिया। पिछले ढाई महीने से हमे सेल्समैन शिवरतन की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। जब भी हम सेल्समैन

शिवरतन से कुछ कहते थे तो वह झगड़े पर उतारू हो जाता था। दिनांक 14.06.2025 को भी शिवरतन ग्राहकों को शराब नही दे रहा था और ग्राहक लौटकर वापस जा रहे थे। शिवरतन ने उस दिन काफी शराब पी ली थी और ठेका भी समय से बंद कर दिया था। फिर हमने शिवरतन से कहा कि हमे कुछ शराब दे दो हम बेच देंगे हमारा रोज नुकसान हो रहा है, मालिक तो बड़ा आदमी है उस पर फर्क नही पड़ेगा। इस बात पर शिवरतन उग्र हो गया और हम दोनो से गाली गलौज करने लगा इस पर हम दोनो ने शिवरतन को धक्का मार दिया तो वह गद्दी के नीचे गिर गया उसके बाद शिवरतन ने बोला कि अब मैं तुम्हे नही छोड़ूंगा। फिर विनोद ने शिवरतन उपरोक्त का अपने हाथों से मुंह व नाक दबा दी और प्रदीप ने शिवरतन के दोनो हाथ पकड़ लिये थोड़ी देर में ही वह मर गया और कोई ठेके के अंदर न आ जाये इसलिये थोड़ी देर बाहर ही खड़े हो गये और ग्राहकों से कहते रहे कि सेल्समैन सो गया है। अब नही उठेगा। जब लोगों का आना जाना कम हो गया तो हम दोनो भी वहाँ से चले गये। सुबह ठेके पर पहुँचकर मालिक को सूचना दी। जब मालिक आया तो हमने ठेके का शटर उठाकर उसे दिखाया और 108 एम्बुलेंस बुलाकर लोहिया अस्पताल भिजवा दिया। साहब हमसे गलती हो गयी है। शेष सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त विनोद यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 511/2008 धारा 392 IPC थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रूखाबाद
2. मु0अ0सं0 427/2009 धारा 3(1) गैंग स्टर एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रूखाबाद
3. मु0अ0सं0 942/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फर्रूखाबाद
4. मु0अ0सं0 943/2019 धारा 60 Ex. Act कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फर्रूखाबाद
5. मु0अ0सं0 187/2025 धारा 103(1) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद
6. अन्य थाना जात से जानकारी की जा रही है

अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 187/2025 धारा 103(1) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद
2. अन्य थाना जात से जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री नितिन कुमार
3. मु0आ0 अनुज तिवारी
4. आ0 मो0 आलम

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 20.06.2025

पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ़ के निर्देशन में यातायात नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालकों/ई-रिक्शा चालकों के वाहनो का किया गया चालान।

पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के निर्देशन में जनपद फतेहगढ़ के समस्त थाना/कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत यातायात नियमों के दृष्टिगत दो पहिया/तीन पहिया/चार पहिया वाहन चैकिंग/जागरुकता अभियान चलाया गया जिसमें क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में यातायात पुलिस/थाना पुलिस द्वारा जनपद फतेहगढ़ में यातायात नियमो का पालन न करने वाले वाहन चालकों /ई-रिक्शा चालकों के दोपहिया/तीन पहिया व चारपहिया वाहनो का चालान किया गया साथ ही यातायात नियमो का पालन करने के सम्बन्ध में जागरुक किया गया। यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों/ई-रिक्शा चालकों का बगैर हेलमेट के बाइक चलाने व नंबर प्लेट न होने पर चालान किये गये, **इस अभियान में कुल 597 वाहनो के चालान किये गये। जिसमें कुल 114 ई-रिक्शा का चालान किया गया तथा कुल 23 ई-रिक्शा सीज की गयी एवं कुल 19 वाहनों का मॉडिफाइड साइलेंसर में चालान किया गया, जिनका शमन शुल्क कुल रू- 865200 /- वसूला गया।**

यातायात जागरूकता बिन्दु:-

1. ट्रैफिक सिग्नल, बोर्ड और संकेतों का पालन करें।
2. अनुमत गति सीमा का पालन करें।
3. नशा करके गाड़ी चलाने से बचें।
4. मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचें और ध्यान केंद्रित करें।
5. दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें।
6. चार पहिया वाहन में हमेशा सीट बेल्ट पहनें।
7. पैदल यात्रियों के लिए सड़क पर सुरक्षित और उचित मार्ग का उपयोग करें।
8. लेन बदलते समय रियर व्यू मिरर में देखें और सुनिश्चित करें कि कोई अन्य वाहन निकट है या नहीं, लेन बदलते समय या मुड़ते समय, अन्य वाहनों को जगह दें।
9. सड़क के किनारे गंदगी न करें, यातायात के रास्ते में बाधा न डालें और सुरक्षित सड़क का उपयोग करें।
10. सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रोत्साहित करें।
11. यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें और उनका सम्मान करें।
12. सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रूप से ड्राइव करें।

मीडिया सेल फतेहगढ़।

GPS Map Camera
Fatehgarh, Uttar Pradesh, India
Taliya Lane, Kanpur Rd, Pwd Colony, Fatehgarh, Uttar Pradesh 209601, India
Lat 27.36436° Long 79.630831°
20/06/2025 06:16 PM GMT +05:30
Google